पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
रमणी कुंवर पत्नि स्व. श्री नागसिंह जाति राव, निवासी गोलिया कारोली		नरेन्द्र सिंह स्व. श्री जामतसिंह, जाति राव, निवासी गोलिया कारोली व अन्य – 3

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 101/2021

दिनांक 29.07.2022

आदेश

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया की मौजा ग्राम कारोली पटवार हल्का आमथला तहसील देलदर में कब्जे काश्त एवं खातेदारी कृषि भूमि खाता सं. नया 172 खसरा सं. 201 रकबा 0.6070 हैक्टेयर व अन्य कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि के आगे अप्रार्थीगण सं. 01 से 03 की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 225 खसरा सं. 195, 200 रकबा क्रमशः 0.3541, 0.3794 हैक्टेयर किस्म नहरी स्थित है। यह कि प्रार्थीया की उपरोक्त कृषि भूमियों में कृषि एवं अन्य कार्य करने हेतु अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 195, 200 की भूमि में से आने जाने हेतु प्रार्थीया के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही होने से यह प्रार्थना पत्र रेकर्डेड मार्ग प्राप्ति हेतु पेश है। यह कि प्रार्थीया की पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नंबर की भूमि से लगती अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 195, 200 कृषि भूमि स्थित है, जिसके आगे आवासीय रूपान्तरण हेतु चार खसरों क्रमशः 196, 197, 198 एवं 199 को संबंधित भूस्वामी द्वारा नगर सुधार न्यास आबू से आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तित करवाया गया है व वर्तमान में उपरोक्त आवासीय कॉलोनी में साइट प्लान के साथ व मौके पर 30 फीट रास्ता दिया हुआ है जो उपरोक्त आवासीय संपरिवर्तित खसरों में से होकर मुख्य सड़क से अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीया के खेत में आता हैं, लेकिन आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगो के साथ मिलीभगत कर के अप्रार्थीगण ने आवासीय कॉलोनी में उक्त रास्ते पर सीमेन्ट की दिवार चुनवा दी है, उक्त दिवार के तुरन्त बाद पतरो का ढांचा तैयार कर पौधे लगा दिये है एवं खसरा संख्यां 195 व 201 के बीच तारबंदी करवा कर प्रार्थीया के खेत में आने वाले रास्ते को पूर्ण रूप से बंद कर दिया और वर्तमान में प्रार्थीया के पास ऐसा कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिससे प्रार्थीया या उसका परिवार खेत में आ जा सकें, उक्त कॉलोनी नगर सुधार न्यास के पुरे मापदण्डों के अनुसार बनी है, एवं विधि अनुसार उपरोक्त वर्णित रास्ता आवासीय संपरिवर्तन के वक्त से ही राजस्थान सरकार में समाहित होकर सार्वजनिक रास्ता हो चुका है, जिसे खुलवाने हेतु भी यह प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थीया को अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 195, 200 की भूमि में से न्युनतम 30 फुट का रास्ता दिलाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करे। नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी सं. 01 से 03 जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि खसरा संख्या 201 के अतिरिक्त प्रार्थीया के नाम से खसरा संख्या 204, 205 एवं 213 की कृषि भूमि एवं कुआ है। यह कि खसरा संख्या 195, 200 अप्रार्थीगण की अवश्य है परन्तु प्रार्थीया के उपरोक्त कृषि भूमि में जाने का रास्ता खसरा संख्या 213 से लगते हुये है, जिस रास्ते से कदीम से आना जाना प्रार्थीया करती आ रही है एवं अप्रार्थी के आने जाने का रास्ता भी खसरा संख्या 213,214 से लगते हुये है। यह कि प्रार्थीया द्वारा खसरा संख्या 195, 201 के मध्य से कभी भी आना जाना नही रहा है। यह कि रास्ता खुलवाने का वाद प्रार्थीया ने गलत पेश किया है, रास्ते खुलवाने की कार्यवाही प्रार्थीया को तहसीलदार के समक्ष पेश की जानी चाहिये थी। यह कि प्रार्थीया को आवासीय कॉलोनी में से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवासीय कॉलोनी के स्वामी एवं भूखण्ड धारियो को पक्षकार बनाये बगैर कॉलोनी में से आने जाने का रास्ता प्राप्त किया [illegible] सकती है। यह कि प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 201 से लगते हुये खसरा संख्या [illegible] में [illegible]सीय कॉलोनी का 30 फीट रास्ता प्रार्थीया के पास उपलब्ध है जिससे [illegible] [illegible] है। यह कि गुगल मेप में वर्णित दर्शाया रास्ता एवं खसरा संख्या 201 से [illegible] हुये खसरा संख्या 202 की कॉलोनी का रास्ता सबसे नजदीक एवं लघुतम रास्ता है, जो प्रार्थीया के पास उपलब्ध है, [illegible] संख्या 202 आवासीय कॉलोनी का स्वामी प्रार्थना पत्र में आव[illegible] पक्षकार है, जिसके अभाव[illegible] प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कोई रास्ता खसरा सं. 195, 200 में उपलब्ध नही है। वादी के कृषि कुआ ख.न. 213 पर पहुंच हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर रास्ता उपलब्ध है एवं इसी खसरे से लेकर वादीया के खसरा नं. 201,204,205 के बीच इनके भाईयो की कृषि भूमि है जिससे होकर वर्तमान में आवागमन किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया। यह प्रकरण प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा नं. 195, 200 की भूमि में से 30 फुट का रास्ता प्राप्त करने का है व वाद के बिन्दु सं. 3 में अंकित कथन अनुसार अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के आगे चार खसरों क्रमशः 196 , 197, 198 एवं 199 को संबंधित भूस्वामी द्वारा यूआईटी से आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन करवाया गया है व उपरोक्त आवासीय कॉलोनी में मौके पर 30 फीट रास्ता दिया हुआ है जो उपरोक्त आवासीय संपरिवर्तित खसरो में से मुख्य सड़क से अप्रार्थीगण एवं प्रार्थिया के खेत में आता है व अप्रार्थीगण ने खसरा संख्या 195 व 201 के बीच तारबंदी करवा कर रास्ते को बंद कर दिया अतः उक्त सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने हेतु भी यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

धारा 251 ए के अंतर्गत 2 बिन्दु मुख्यतः विचारणीय है –

1. प्रार्थीया को रास्ते की परम आवश्यकता हो केवल सुविधा के लिये नही एवं अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई रास्ता खसरा सं. 195, 200 में उपलब्ध नही है व वादी के कृषि कुआ ख.न. 213 पर पहुंच हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर रास्ता उपलब्ध है एवं इसी खसरे से लेकर वादीया के खसरा नं. 201,204,205 के बीच इनके भाईयो की कृषि भूमि है जिससे होकर वर्तमान में आवागमन किया जाता है। अतः प्रार्थीया सरलता/सुगमता हेतु धारा 251 ए के अंतर्गत रास्ता प्राप्त नही कर सकती।
2. प्रार्थीया के वाद बिन्दु 3 के अनुसार यह प्रार्थना पत्र सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने हेतु पेश किया गया है। चूंकि बंद रास्ते को खुलवाने की अधिकारिता तहसीलदार को है जिसके लिये धारा 251 के अंतर्गत प्रार्थीया सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

29.7.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner